

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली

सार्वजनिक नोटिस

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण जवहार विहार योजना के अन्तर्गत स्थित है, का अंतरण/नामान्तरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है:-

क्रम संख्या	मूल आवेदी का नाम	भूखण्ड/ भवन/ प्लैट संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम (पिता/पति का नाम सहित)	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	अन्तरण/ नामान्तरण का आधार	पट्टाधृत/पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती श्याम कुमारी पाण्डेय पत्नी श्री राज नारायण पाण्डेय निवासी मदाखेड़ा पो0 नीबी, तहसील लालगंज, रायबरेली	भवन संख्या एल0आई0जी0 11-234	जवाहर विहार योजना	श्री राजीव पाण्डेय पुत्र श्री राज नारायण पाण्डेय	निवासी एच0आई0जी0-54 जवाहर विहार कालोनी मलिकमऊ, रायबरेली	मृत्यु उपरान्त नामान्तरण	पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भवन/भूखण्ड के अन्तरण/नामान्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्तियां सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली को प्रस्तुत कर सकता/सकती है अन्यथा स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का अंतरण/नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।


सचिव

रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।